न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 116/2020 **निर्णय दिनांक :–15.04.2021**

उनवानी दावा :

1. रामलक्ष्मण पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. भगवान पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. महावीर पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.

–वादीगण–

बनाम

1. भंवरबाई पत्नि नंदकिशोर जाति ब्राहमण निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज.
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
श्री प्रेमचन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1
पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 861, 862, 899, 900,1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076 किता 11 रकबा 2.95 है0 ग्राम टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसके वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा बराबर के रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है, जिसका पक्षकारान के मध्य आपस मे कोई विवाद नही है। पक्षकारान स्वर्गीय बजरंगलाल ब्राहमण के वारिसान/उत्तराधिकारीगण है बजरंगलाल के दो पुत्र दुर्गाशंकर व बदरीलाल हुऐ जिनका देहान्त हो चुका है, दुर्गाशंकर की एक मात्र पुत्री/वारिस प्रतिवादी नं0 1 तथा बदरीलाल के तीन पुत्र है जो वादीगण है। उपरोक्त वर्णित भूमियों मे दुर्गाशंकर व बदरीलाल के देहान्त के बाद विरासत के नामान्तकरण मे वादीगण के पिता का नाम बदरीलाल अंकित करने के बजाय दुर्गाशंकर के पुत्र अंकित कर दिया जब कि वादीगण

दुर्गाशंकर के पुत्र न होकर बदरीलाल के पुत्र है इस कारण जमाबन्दी मे वादीगण के पिता का नाम दुर्गाशंकर के स्थान पर बदरीलाल अंकित किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सख्या 2 तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:—चरण नं. 1 व 2 वादी को सिद्ध करने है। चरण नं. 3 मुताबिक मौका पर्चा सही है। चरण नं. 4 मुताबिक मौका पर्चा सही है परन्तु वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करना आवश्यक है। चरण नं. 5 एवं 6 न्यायालय से सम्बिन्धित है।

विशेषः—संक्षेपतः मौका पर्चा अनुसार वादीगण स्व. बदरीलाल के वारिस है एवं स्व. दुर्गालाल के एकमात्र संतान भंवरीबाई (पुत्री) है। संलग्नक मौका पर्चा

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 वादी रामलक्ष्मण पुत्र बदरीलाल कौम ब्राहम्ण उम्र 54 वर्ष निवासी बून्दी का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक पी. डब्ल्यू—2 विकास जोशी कौम ब्राहम्ण उम्र 36 वर्ष पेशा पढाई निवासी देवली, पी. डब्ल्यू—3 हीरालाल पुत्र इसर कौम बैरवा उम्र 55 वर्ष निवासी टोडा का गोठड़ा, पी. डब्ल्यू—3 रामलाल पुत्र भंवरलाल कौम गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:— आधार कार्ड महावीर प्रसाद पुत्र बद्री लाल, रामलक्ष्मण पंचोली पुत्र श्री बदरीलाल पंचोली, भगवान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा असल से मिलान करके छायाप्रति प्रदर्श—1 से 3, हाल जमाबन्दी खाता संख्या 55 सम्वत 2073—76 प्रदर्श—4 पेश किये है।

साक्ष्यवादी बंद की की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि बजरंगलाल के दो पुत्र दुर्गाशंकर व बदरीलाल थे। जिनका देहान्त हो गया। दुर्गाशंकर की एक मात्र वारिस भंवरबाई थी तथा बदरीलाल के तीन पुत्र वादीगण थे। दुर्गाशंकर व बदरीलाल की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण में वादीगण के पिता का बदरीलाल के

स्थान पर दुर्गाशंकर कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से कर दिया। जिसको दुरूस्त करना आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2073–76 खाता संख्या 55 जो कि प्रदर्श–4 है में वादीगण के पिता का नाम दुर्गाशंकर अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण ने अपने आधार कार्ड, की छायाप्रति असल से मिलान कर पेश किये है। आधार कार्ड में वादीगण के पिता का नाम बदरीलाल अंकित है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में वादीगण को बदरीलाल के वारिस माना है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य/बयान गवाह पी. डब्ल्यू–1 से 4 करवाये है। उक्त से स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादीगण के पिता का नाम दुर्गाशंकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया, जिसको शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2073–76 खाता संख्या 55 ख0नं0 861, 862, 899, 900,1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076 किता 11 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम टोडा का गोठड़ा तहसील देवली, में अंकित रामलक्ष्मण भगवान महावीर पि. दुर्गाशंकर को विलोपित कर रामलक्ष्मण भगवान महावीर पि. दुर्गाशंकर के स्थान पर रामलक्ष्मण भगवान महावीर पुत्र बदरीलाल का नाम दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार देवली अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड करे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

1. रामलक्ष्मण पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. भगवान पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. महावीर पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज.

—वादीगण—

बनाम

1. भंवरबाई पत्नि नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज.
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

—प्रतिवादी—

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 116 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रेम चन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2073—76 खाता संख्या 55 ख0नं0 861, 862, 899, 900,1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076 किता 11 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम टोडा का गोठड़ा तहसील देवली, में अंकित रामलक्ष्मण भगवान महावीर पि. दुर्गाशंकर को विलोपित कर रामलक्ष्मण भगवान महावीर पि. दुर्गाशंकर के स्थान पर रामलक्ष्मण भगवान महावीर पुत्र बदरीलाल का नाम दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार देवली अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड करे।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 04 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)